

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 592/13
 संस्थापन दिनांक:-12/12/13
 फाईलिंग नं. 233504000862013

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

निलेश उर्फ बंटी पिता झनकलाल,
 उम्र 19 वर्ष, निवासी रतेड़ाकला,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 26.11.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 324, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 02.12.2013 को दिन 03:30 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम रतेड़ाकला शिवराज गोस्वामी के घर के पास नदी लोक स्थान पर या उसके समीप फरियादी सुशील धुर्वे को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सुशील धुर्वे को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 02.12.2013 को दिन के 3.30 बजे नदी पर लेट्रिंग करने गया था वहीं पर अभियुक्त भी था जो उसके पास आया और उससे कहा कि क्यों खेतीबाड़ी के बारे में झगड़ा कर रहे हैं तो उसने कहा कि वह झगड़ा नहीं कर रहा है। उनका अभियुक्त से खेतीबाड़ी पर से झगड़ा चल रहा था। अभियुक्त ने उसे मां बहन की गालियां दी। उसके द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसके हाथ में रखी कुल्हाड़ी से उसे दाहिने तरफ पेट पर मारा जिससे उसे चोट आकर खून निकला। अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दिया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 459/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से एक लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसा के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार

कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी सुशील धुर्वे और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुशील धुर्वे को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

5 सुशील धुर्वे (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा उसे गाली दिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियुक्त के द्वारा उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी जाना बताया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उसके न्यायालयीन परीक्षण में इस संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी सुशील धुर्वे (अ.सा.-1) ने यद्यपि अभियुक्त द्वारा मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी जाना बताया है परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224

अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 सुशील धुर्वे (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त नीलेश ने खेती बाड़ी पर से झगड़ा करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उसके न्यायालयीन परीक्षण में इस संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी सुशील धुर्वे (अ.सा.-1) ने प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय उसे जान से खत्म करने की धमकी दिया था।

8 अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

9 सुशील धुर्वे (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि दिन के 04:30 बजे वह नदी किनारे शौच के लिए गया था। वहीं पर अभियुक्त नीलेश ने उसे पीछे से कुल्हाड़ी मार दिया जो दाहिनी तरफ पेट में लगा। उक्त साक्षी ने घटना की रिपोर्ट थाना में की जाना प्रकट करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने दिनांक 02.12.2013 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत सुशील का परीक्षण किये जाने पर आहत के पेट में दाहिनी तरफ 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार का कटा हुआ घाव जिसमें से खून बह रहा था एवं दाहिनी कोहनी पर 2 गुणा 1 सेमी. आकार की खरोज का निशान पाया था। साक्षी ने आहत को आयी चोट क. 1 कड़े एवं धारदार हथियार से एवं चोट क. 2 कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचाई जाना बताया है। उक्त साक्षी ने अपने द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-5) पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी तथा फरियादी/आहत सुशील धुर्वे के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहत के बताये गये स्थान पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर एकमात्र आहत के कथन उपलब्ध है तथा उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश है। तब ऐसी स्थिति में एकमात्र आहत के कथनों पर भरोसा कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में हसन (अ.सा.-2) और लखन (अ.सा.-3) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य उक्त साक्षियों ने अपने कथनों में प्रकट नहीं किये हैं। इस प्रकार बचाव अधिवक्ता का यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है परंतु न्यायालय के मत में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष या विपक्ष में गवाही देने से बचता है। अतः उपर्युक्त साक्षीगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने मात्र से संपूर्ण अभियोजन का मामला धराशायी नहीं हो जाता है।

13 मंगलमूर्ति (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 02.12.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 549/13 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 03.12.2013 को दौराने विवेचना नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-2) तथा दिनांक 06.12.2013 को अभियुक्त से एक लोहे की कुल्हाड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-3) एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-4) तैयार किया जाना प्रकट किया है। साथ ही उक्त साक्षी ने उपर्युक्त प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं।

14 अभिलेख पर मात्र आहत/फरियादी सुशील धुर्वे की साक्ष्य उपलब्ध है। जहां तक फरियादी की एकल असंपुष्ट साक्ष्य का प्रश्न है। इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में स्पष्टतः वर्णित है कि— *किसी मामले में किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है।* इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जोसेफ विरुद्ध केरल राज्य (2003) 1 एससीसी 465** के न्याय दृष्टांत में यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि — *एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्ध स्थिर की जा सकती है, अवलोकनीय है।* अतः प्रकरण में यह देखा जाना है कि आहत के कथन विश्वसनीय है या नहीं।

15 सुशील धुर्वे (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि दिन में करीब 04:30 बजे वह नदी किनारे शौच के लिए गया था। वहीं पर अभियुक्त ने पीछे से उसे कुल्हाड़ी से मार दिया था जिससे दाहिनी तरफ पेट पर चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 04 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव

को सही बताया है कि उसे यह नहीं मालूम की अभियुक्त नीलेश नदी पर कब आया था। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका तैयार नहीं किया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 06 में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि जिस कुल्हाड़ी से उसे चोट लगी थी उसे उसने नहीं देखा था परंतु साक्षी ने बाद में कहा कि उसने कुल्हाड़ी मारते हुए देखा था।

16 अभियोजन कथा अनुसार फरियादी नदी के पास शौच के लिए गया। वहां पर अभियुक्त पहले से था तथा अभियुक्त फरियादी के पास आया, और फरियादी से कहा कि खेती बाड़ी पर से झगड़ा क्यों करते हो और गाली देने लगा। फरियादी द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने हाथ में रखी कुल्हाड़ी से उसके दाहिने पेट पर मार दिया। जबकि फरियादी/आहत सुशील धुर्वे ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त नीलेश ने अचानक से पीछे से उसे कुल्हाड़ी से मार दिया था तथा प्रति परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त मौके पर कब आया था उसे यह नहीं मालूम तथा यह भी बताया कि उसकी अभियुक्त से घटना दिनांक को कोई बातचीत नहीं हुई थी। नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-2) के अवलोकन से दर्शित है कि घटना स्थल नदी के किनारे है तथा वहां पर केवल झाड़ियां हैं। साक्षी हसन एवं नकुल के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि साक्षीगण घटना दिनांक को शौच हेतु मौके पर गये थे तथा अभियोजन कथा अनुसार फरियादी भी शौच के लिए मौके पर गया था। तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त नीलेश मौके पर जो कि शौच स्थल दर्शित हो रहा है, वहां पर अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी साथ में लेकर जाना अस्वाभाविक सा प्रतीत हो रहा है।

17 अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त पहले से ही मौके पर उपस्थित था और उसने सामने से सीधा वार कुल्हाड़ी से फरियादी पर किया। जबकि फरियादी ने पीछे से अभियुक्त के द्वारा कुल्हाड़ी से वार करना बताया है। इसके अतिरिक्त आहत के चिकित्सकीय परीक्षण में उसकी दाहिनी कोहनी पर भी खरोच का निशान था जिसके संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन के द्वारा नहीं दिया गया है। उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश का तथ्य विद्यमान है क्योंकि अभियोजन कथा का प्रारंभ भी इसी तथ्य से हुआ है। इस प्रकार आहत/फरियादी सुरेश (अ.सा.-1) ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। उभयपक्ष के मध्य रंजिश स्थापित है। तब ऐसी स्थिति में मात्र आहत के कथनों पर विश्वास करके यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने फरियादी सुशील धुर्वे को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी केगईबाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित

कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त शेखर को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19 प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसा के अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

20 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

21 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)